फ्रांसिस जॉन

बनाम

शिक्षा निदेशक और अन्य

नवंबर 23,1989

[मुख्य न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया, न्यायमूर्ति के. एन. सिंह और न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल]

गोवा, दमन और दीव अनुदान-सहायता संहिता: नियम 74.2-स्थायी शिक्षक की सेवाओं की समाप्ति-विवाद निपटान समिति-पूछताछ करने का अधिकार क्षेत्र।

भारत का संविधानः अनुच्छेद 226-अनुदान सहायता संहिता के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय-एक शिक्षक की सेवाओं की समाप्ति- और शिक्षा निदेशक के आदेश-उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए योग्य।

अपीलकर्ता, जो एक निजी स्कूल में हेडमास्टर था, के खिलाफ अनुदान सहायता संहिता के नियम 74.2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी क्योंकि स्कूल संहिता के अनुसार अनुदान प्राप्तकर्ता था। शिक्षा निदेशक ने विवाद निपटान समिति के निष्कर्षों को मंजूरी दे दी और स्कूल के प्राचार्य द्वारा अपीलकर्ता को बर्खास्त करने की अनुमति दी। बर्खास्तगी के उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय, पणजी पीठ के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।

याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्कूल के प्रबंधन, जो एक निजी निकाय था, के खिलाफ सक्षम नहीं थी । उच्च

न्यायालय के फैसले से व्यथित अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की।

अनुदान-सहायता संहिता के सुसंगत नियम के अनुसार शिक्षा निदेशक, जो एक सार्वजनिक पदाधिकारी था और सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित एक प्राधिकारी के रूप में एक सरकारी कार्य का निर्वहन कर रहा था, से प्राप्त संचार के बिना प्रबंधन अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता था। जाहिर तौर पर ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय सिर्फ निजी कानून द्वारा शासित निजी प्रबंधन का है। उच्च न्यायालय ने *टीका राम* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात का ठीक से पालन नहीं करके गलती की, जिसके तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से काफी अलग नहीं थे। इस अदालत न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए और गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका की सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हुए, अभिनिर्धारित:

कोई भी निजी स्कूल जो अनुदान सहायता संहिता के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करता है, जिसे न केवल प्रबंधन के लाभ के लिए बल्कि प्रबंधन के लाभ के लिए भी जारी किया गया है बल्कि स्कूल के कर्मचारी के लाभ के लिए भी जिनके वेतन और भत्ते के लिए सरकार अनुदान सहायता संहिता के तहत सार्वजनिक निधि से योगदान दे रही थी, वे संहिता के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बच नहीं सकते और विशेष रूप से जहां शिक्षा निदेशक जो राज्य का एक साधन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है। [260 एफ-जी]

उच्च न्यायालय यह कायम रखने में गलत था कि शिक्षा निदेशक और विवाद निपटान समिति के आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। [260 जी]

टीका राम बनाम मुंडिकोटा शिक्षा प्रसारक मंडल और अन्य, [1985] 1 एससीआर 339, संदर्भित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3586/1988

(डब्ल्यू पी संख्या 92/1986 और विविध सिविल आवेदन संख्या 1987 की 334 में दिनांक 18.8.1987 और 9.11.1987 को गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेश से।)

अपीलार्थी की ओर से डॉ. आर. एस. कुलकर्णी, एस. के. मेहता, अमन वाछेर और अतुल नंदा।

उत्तरदाताओं के लिए के. एन. भट और मुकुल मुद्गल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

मुख्य न्यायमूर्ति वेंकटरमैया:

अपीलार्थी को 1974 में गोवा राज्य (जो प्रासंगिक समय में एक केंद्र शासित प्रदेश था) में कलंगुट डॉन बॉस्को एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित एक स्कूल के हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय लागू अनुदान-सहायता-संहिता के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, क्योंकि स्कूल संहिता के अनुसार अनुदान प्राप्त कर रहा था। विवाद निपटान समिति के निष्कर्षों को गोवा सरकार के शिक्षा निदेशक ने 12 जुलाई 1984 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित किया था, जिन्होंने अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति दी थी। इसलिए, डॉन बॉस्को हाई स्कूल के प्राचार्य ने 26 जुलाई, 1984 को अपने पत्र द्वारा हेडमास्टर के रूप में अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया और समाप्ति के उक्त आदेश को अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, पणजी बेंच, गोवा के समक्ष 1986 की रिट याचिका संख्या 92 में चुनौती दी गई थी। याचिका को उच्च न्यायालय

द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, जो एक निजी निकाय था। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है। विचाराधीन स्कूल एक निजी स्कूल था और अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी अनुदान सहायता संहिता के तहत अनुदान सहायता का प्राप्तकर्ता था। अनुदान सहायता संहिता का प्रासंगिक नियम, यानी नियम 74 2 जिस पर प्रबंधन ने भरोसा किया, इस प्रकार हैः

"74.2 (1). स्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं यहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा समाप्त नहीं की जाएंगी। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी या कोई अन्य जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उन आधारों के बारे में लिखित रूप से सूचित नहीं किया गया है जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें एक विशिष्ट आरोप/आरोपों के रूप में घटाया जाएगा जाएगा, जिसे कर्मचारी को आरोप के बयान के साथ सूचित किया जाएगा, जिस पर प्रत्येक आरोप आधारित है।

(iii) प्रबंधन मामले को लिखित रूप में शिक्षा निदेशक को संदर्भित करेगा, जिसमें पूर्ण पुष्टिकरण साक्ष्य और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ आरोप की एक प्रति के साथ अभीष्ट समाप्ति के प्रभाव की तारीख बताई जाएगी। कर्मचारियों को दिए गए पत्र में पूरे सबूत और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ आरोप की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए। कर्मचारी को अभीष्ट समाप्ति की तारीख से कम से कम एक कैलेंडर माह पहले पत्र जारी किया जाना चाहिए। पत्र जारी करना नियम 74.1(3) के अधीन होगा।

(v) निदेशक शिक्षा निदेशालय में पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले को विवाद निपटान समिति को भेजेगा। विवाद निपटान समिति दोनों की सुनवाई करेगी। विवाद निपटान समिति दोनों पक्षों को सुनेगी और किसी एक या दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बयानों, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी और संदर्भ की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपना निर्णय देगी।

(vi) विवाद निपटान समिति का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, बशर्ते कि विवाद निपटान समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर गोवा, दमन और दीव प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1965 के तहत स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपील करने का विकल्प किसी भी पक्ष के लिए खुला होगा।"

नियम 74.2 में यह प्रावधान है कि स्थायी पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवा उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा समाप्त नहीं की जाएगी और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी या कोई अन्य जुर्माना लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उन आधारों के बारे में लिखित रूप से सूचित नहीं किया गया है जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें एक विशिष्ट आरोप/आरोपों के रूप में घटाया जाएगा जाएगा, जिसे कर्मचारी को आरोप के बयान के साथ सूचित किया जाएगा, जिस पर प्रत्येक आरोप आधारित है। इसके बाद प्रबंधन को इस मामले को लिखित रूप में शिक्षा निदेशक को लिखित रूप में संदर्भित करना आवश्यक है, अभीष्ट समाप्ति के प्रभाव की तारीख बताते हुए संबंधित कर्मचारी को उसकी पावती हेतु पृष्ठांकित प्रति के साथ। कर्मचारी को दिए गए पत्र में पूरे सबूत और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ आरोप की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए। कर्मचारी को अभीष्ट समाप्ति की तारीख से कम से

कम एक कैलेंडर माह पहले पत्र जारी किया जाएगा। पत्र जारी करना नियम 74.1(3) के अधीन होगा। इसके बाद निदेशक को शिक्षा निदेशालय में पत्र की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मामले को विवाद निपटान समिति को संदर्भित करना होगा।। विवाद निपटान समिति दोनों पक्षों को सुनेगी और किसी एक या दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बयानों, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी और संदर्भ की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपना निर्णय देगी। यदि कोई पक्ष मामले को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो विवाद निपटान समिति *एकपक्षीय* निर्णय लेगी। विवाद निपटान समिति का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

विवाद निपटान समिति को शिक्षा निदेशक द्वारा भेजे गए संदर्भ पर ही मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। इस मामले में शिक्षा निदेशक द्वारा 12 जुलाई 1984 को पारित आदेश इस प्रकार है:

“क्रमांक डीइ/एसीएडी आई/बीइजेड-बीओ/40/बीएचएस/पीसी15/कार्यकाल सेवा

एचएम/वॉल्यूम III/82

शिक्षा निदेशालय, गोवा, दमन और दीव सरकार,

पणजी, गोवा।

तारीखः 12.7.1984

1. यह कार्यालय आदेश “क्रमांक डीइ/एसीएडी आई/बीइजेड-बीओ/40/डीबीएचएस/पीसी15/कार्यकाल सेवा एचएम/वॉल्यूम III/82 3610, तारीखः 3.9.1982 .

2. पत्र क्रमांक 171-5-82-एइ/1115 तारीखः 26.3.1983 विवाद निपटान समिति के संयोजक एवं सहायक शिक्षा निदेशक.

आदेश

जबकि ऊपर उल्लिखित आदेश के तहत, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, कैलंगुट बर्देज़, गोवा के हेडमास्टर श्री फ्रांसिस जॉन की सेवाओं की समाप्ति के प्रस्तावित मामले की जांच के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन किया गया था और जबकि आरोपी श्री एफ. जॉन ने कुछ समय के लिए अपने नामांकित व्यक्ति के साथ विवाद निपटान समिति के विचार-विमर्श में भाग लिया और उसके बाद संयोजक द्वारा उन्हें दिए गए सभी उचित अवसरों के बावजूद समिति के विचार-विमर्श से अनुपस्थित रहे और जबकि उक्त समिति ने बहुमत से निर्णय लिया है कि डॉन बॉस्को हाई स्कूल, कैलंगुट के हेडमास्टर श्री एफ. जॉन की सेवाओं की समाप्ति न्यायसंगत है।

अधोहस्ताक्षरी विवाद निपटान समिति के निष्कर्षों से सहमत है और इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि समिति की बहुमत रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल को श्री एफ. जॉन की सेवा समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, सहायता अनुदान संहिता के नियम 74 (संशोधित) के अनुसार और इस प्रकार हुई रिक्ति को नियमानुसार भरा जाना चाहिए। प्रिंसिपल को अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए निलंबन के आदेश को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया गया है।

एसडी/- एल खिस्ंगते

शिक्षा निदेशक "

यह शिक्षा निदेशक द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अनुदान सहायता संहिता के प्रासंगिक नियम को पढ़ने से, जो देश के सार्वजनिक कानून का एक हिस्सा है, यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल के प्रबंधन और अपीलकर्ता के बीच विवाद का संदर्भ विवाद निपटान समिति को शिक्षा निदेशक द्वारा अनुदान सहायता संहिता द्वारा उन्हें प्रदान

की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया था, जो कि सत्तासीन सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है, भले ही यह किसी क़ानून के तहत नहीं किया गया हो। शिक्षा निदेशक, जो एक सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, ने स्कूल को सूचित करने से पहले विवाद निपटान समिति के निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय को अपनी स्वीकृति देते हुए शिक्षा निदेशक सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित प्राधिकरण के रूप में एक सरकारी कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रबंधन, इन परिस्थितियों में, शिक्षा निदेशक से प्राप्त संचार के बिना अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय निजी कानून द्वारा शासित एक न्यायपूर्ण निजी प्रबंधन का है। यह सार्वजनिक कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है जो सार्वजनिक खजाने को प्रभावित करता है।

जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो एक प्रारंभिक आपत्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के संबंध में प्रबंधन द्वारा ली गई थी।

अपीलकर्ता ने रिट याचिका में तर्क दिया कि अनुशासन समिति की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है और शिक्षा निदेशक द्वारा दी गई मंजूरी संधारणीय नहीं थी। अपीलार्थी ने *टीका राम बनाम मुंडीकोटा शिक्षा प्रसार मंडल और अन्य,* [1985] 1 एससीआर 339 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और तर्क दिया कि वह निजी निकाय के खिलाफ कोई राहत नहीं मांग रहा था, बल्कि वह शिक्षा निदेशक के आदेश को चुनौती दे रहा थे, जिसने विवाद निपटान समिति द्वारा उसे सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर उसे हटाने की मंजूरी दी थी और इसलिए शिक्षा निदेशक, जो एक सार्वजनिक प्राधिकारी था और जिसके आदेशों पर

अदालत के समक्ष सवाल उठाया गए थे, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी था।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 11 में यह कहते हुए उपरोक्त मामले को अलग कर दिया:

> "... श्री काकोदकर ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में *टीका राम बनाम मुंडीकोटा शिक्षा प्रसारक मंडल,* एआईआर 1984 एससी 1621 पर भरोसा जताया था कि एक निजी स्कूल के हेडमास्टर के मामले में एक रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी, जिसे एक निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। *टीका राम* के मामले में, याचिकाकर्ता स्कूल संहिता की खंडों के आधार पर प्रबंधन के खिलाफ कोई राहत नहीं मांग रहा था। लेकिन न्यायालय ने कहा हैः
>
> "मौजूदा मामले में अपीलकर्ता किसी निजी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ राहत की मांग कर रहा है जो हमेशा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। जाहिर है, वर्तमान मामले में सरकार के किसी भी अधिकारी के फैसले को चुनौती नहीं दी जा रही है और इसलिए, *टीका राम* के मामले को आसानी से अलग किया जा सकता है।"

उच्च न्यायालय के प्रति बहुत सम्मान के साथ हमें यह कहना चाहिए कि हमें इस मामले के तथ्यों और *टीका राम* के मामले (सुप्रा) में शामिल तथ्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला है। टीका राम (सुप्रा) के मामले में उस मामले में अपीलकर्ता भी एक निजी स्कूल में हेड मास्टर के पद पर कार्यरत था। पहले की कुछ घटनाओं के कारण प्रबंधन ने अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की और 7 जुलाई,

1975 को प्रबंधन द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उसने उसे सहायक शिक्षक के पद पर वापस भेजने की सजा दी है, जो प्रबंधन के अनुसार यह उनके द्वारा धारण किया गया मूल पद था। प्रत्यावर्तन के उस आदेश से व्यथित, अपीलार्थी ने शिक्षा उप निदेशक, नागपुर प्रभाग, के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण जांच को दूषित किया गया था और उन्होंने कभी भी सहायक शिक्षक का पद नहीं संभाला था जिसमें उन्हें वापस कर दिया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, शिक्षा उप निदेशक ने 3 अक्टूबर, 1975 को एक आदेश पारित कर प्रबंधन के निर्णय को रद्द कर दिया और मामले को इस आधार पर नए निर्णय के लिए प्रबंधन को भेज दिया कि जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण दूषित हो गई थी। उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के बजाय, प्रबंधन ने 17 अक्टूबर, 1975 को स्वयं उप निदेशक के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। इसे उप निदेशक ने 11 नवंबर, 1975 के अपने आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके समक्ष ऐसी कोई समीक्षा दायर नहीं की जा सकती थी। उस आदेश के खिलाफ प्रबंधन ने शिक्षा निदेशक के समक्ष एक अपील दायर की और 12 मई, 1976 को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित रिमांड के आदेश की पुष्टि करते हुए इसे खारिज कर दिया गया। प्रबंधन ने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा निदेशक के समक्ष फिर से एक याचिका दायर की। समीक्षा के लिए इस याचिका को 26 नवंबर, 1976 को शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमति दी गई थी और उप निदेशक द्वारा 3 अक्टूबर, 1975 को पारित नए निर्णय के लिए प्रबंधन को मामले को भेजने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। 26 नवंबर 1976 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुख्य आधार पर एक रिट याचिका दायर की कि निदेशक के पास 12 मई 1976 के अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र

नहीं था जिसके द्वारा उन्होंने उप निदेशक के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निदेशक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस आधार पर रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक स्कूल संहिता के खंड 77 और संबंधित खंडों के तहत अपने अधिकार को लागू नहीं कर सकते हैं जो वैधानिक नियम नहीं थे। उस आदेश के विरुद्ध उस मामले में अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उक्त अपील को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "रिट याचिका में अपीलकर्ता स्कूल संहिता के खंडों के आधार पर प्रबंधन के खिलाफ सीधे तौर पर कोई राहत नहीं मांग रहा था। यदि प्रबंधन उप निदेशक या निदेशक द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करता है, तो यह राज्य सरकार के लिए खुला है कि वह स्कूल संहिता के तहत यथासंभव कार्रवाई करेगी। ऐसी स्थिति में, विद्यालय को दी गई मान्यता वापस ली जा सकती है या सहायता अनुदान को रोका जा सकता है।"

तत्काल मामले में अपीलकर्ता किसी निजी निकाय के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ राहत मांग रहा है जो हमेशा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। अपीलार्थी ने केवल उप निदेशक के आदेश को दरकिनार करते हुए निदेशक द्वारा समीक्षा पर पारित 26 नवंबर, 1976 के विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की है। जहां तक प्रबंधन का सवाल है, उपरोक्त आदेश को रद्द करने के क्या परिणाम होंगे, यह पूरी तरह से अलग मुद्दा है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका निदेशक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं

है। हम कुछ ऐसे निर्णयों से अवगत हैं जिनमें यह देखा गया है कि कोई भी शिक्षक स्कूल संहिता के तहत ऐसे किसी अधिकार को लागू नहीं कर सकता है जो प्रबंधन के खिलाफ गैर-वैधानिक है। लेकिन चूंकि यह याचिका मुख्य रूप से निदेशक द्वारा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, हालांकि स्कूल संहिता के तहत उत्पन्न एक मामले में और चूंकि निदेशक ने अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र मान लिया था, इसलिए हम मानते हैं अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को बरकरार रखने का हकदार था।

मौजूदा मामले में भी हम सहायता अनुदान संहिता से संबंधित हैं। जिस फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, वह शिक्षा निदेशक का दिनांक 12 जुलाई, 1984 का आदेश था जो सार पूरी तरह से ऊपर निकाला गया है। आगे यह भी देखा गया है कि उपरोक्त आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशक द्वारा न केवल स्कूल के प्रबंधन को बल्कि क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर शिक्षा क्षेत्र, माप्सा और शिक्षा निदेशालय के अनुदान-सहायता अनुभाग को भी भेजी गई है। यदि शिक्षा निदेशक और विवाद निपटान समिति, जिसके पास उन्होंने मामला भेजा था, के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है तो अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति का आदेश, जो उनके अनुसार है, भी गिरना होगा। कोई भी निजी स्कूल जो अनुदान-सहायता संहिता के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करता है, जो न केवल प्रबंधन के लाभ के लिए बल्कि स्कूल के कर्मचारियों के लाभ के लिए भी घोषित किया गया है, जिनके वेतन और भत्तों के लिए सरकार अनुदान-सहायता संहिता के तहत सार्वजनिक धन से योगदान कर रही थी, वह संहिता के उल्लंघन से होने वाले परिणामों से बच नहीं सकता है और विशेष रूप से जहां शिक्षा निदेशक, जो राज्य का एक साधन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले रहा है। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय यह मानने में गलत था कि शिक्षा निदेशक और विवाद निपटान समिति के आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते क्योंकि मामला पूरी तरह से *टीका राम* के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत आता है।

इसलिए, हम उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज करते हैं जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका उसके समक्ष सुनवाई योग्य नहीं थी। चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं और उसे कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश देते हैं। तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील अनुमत की गई।

R.N.J.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।